



**जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने की कोशिश करने वाले बाल अपचारी सहित 03 अभियुक्तों को थाना रसूलपुर टीम द्वारा 12 घंटे के अन्दर पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध असलहों सहित किया गिरफ्तार ।**

- अभियुक्तों द्वारा मूर्तियों को खंडित कर साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने की की गयी थी कोशिश ।
- घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा एसओजी / सर्विलांस सहित तेज तर्रार 05 टीमों का गठन किया गया था ।
- गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इंटेलीजेंस के आधार पर 01 घंटे के अन्दर एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया ।
- अन्य दो अभियुक्तों को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा 12 घंटे के अन्दर पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध असलहों सहित गिरफ्तार किया गया ।
- जनपद पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वालों के विरुद्ध एनएसए एवं गैंगस्टर के तहत कड़ी कार्यवाही बनेगी नजीर ।
- जनपद पुलिस द्वारा घटना का 12 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करने पर आमजन में पैदा किया गया विश्वास ।

दिनांक 22/23.03.2023 की रात्रि में अज्ञात अराजक तत्वों के द्वारा थाना रसूलपुर क्षेत्रान्तर्गत शहीद चौक के पास मौहल्ला पुराना/नया रसूलपुर में स्थित श्री हनुमान जी की मूर्ति एवं माता भगवती देवी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था । जिससे आम जनता में काफी आक्रोश व्याप्त था एवं अफरा तफरी मच गई थी , जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 140/23 घारा 153 ए /295/295ए/427 भादवि व 7 CLA एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मूर्तियों की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करवायी गई , घटना का शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 05 टीमों का गठन किया गया था ।

उक्त के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद फिरोजाबाद के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मेनुअल इन्टेलिजेन्स के आधार पर तीन अभियुक्तों की पहचान की गयी थी । पुलिस टीम द्वारा बिजलीघर भारत टाकीज के सामने खाली पड़े ग्राउण्ड में रेलवे पटरी के पास अभियुक्तगण 1.सफीक पुत्र गुलाम जिलानी निवासी नाले की पुलिया मौहल्ला टीला सुमान थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 48 वर्ष 2.अरगान उर्फ खलीफा पुत्र स्व0 रफीक निवासी नालबन्द चौकी के पास कस्सावान गली थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक एक तमन्चा करातूस

के साथ गिरफ्तार किया गया ,अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 142/23 धारा 307 पुलिस मुडभेड व मु0अ0सं0 143/23 व 144/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है । थाना पुलिस द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तगणों की त्वरित गिरफ्तारी करने एवं मूर्तियां स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कराने से आम जन में पुलिस कार्यवाही बहुत ही सराहा गया ।

### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब बीती रात में हम दोनों शहीद चौक के पास शराब पीने के लिए आये थे । हम दोनों ने शहीद चौक के पास बैठकर शराब पी और वहाँ एक नाबालिग बच्चा भी आ गया था तो हमने नशे की हालात में नाबालिग बच्चे की मदद से मूर्तियों को तोड़ दिया । टूटी मूर्तियों तथा मूर्तिया तोड़ने वाली ईंट को वहीं छोड़ दिया था और हम अपने-अपने घर चले गये थे । आज सुबह पुलिस हमें खोजने के लिए हमारे मोहल्ले मे आयी थी तो पहचाने जाने के डर से हमने अपने कपड़े बदल दिये और हमने अपने कपडे घर पर छिपा दिये और हम यहा आकर बैठे थे पुलिस पहुच गई । हमें यह डर था कि पुलिस हमें पकड लेगी तो गोली मार देगी इसलिए हमने पुलिस पर जान से मारने की नियत से पुलिस पर तमन्चे से फायर कर दिया ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सफीक पुत्र गुलाम जिलानी निवासी नाले की पुलिया मौहल्ला टीला सुमान थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 48 वर्ष
2. अरगान उर्फ खलीफा पुत्र स्व0 रफीक निवासी नालबन्द चौकी के पास कस्सावान गली थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद 50 वर्ष
3. एक नाबालिग लडका

### गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

सफीक पुत्र गुलाम जिलानी निवासी नाले की पुलिया मौहल्ला टीला सुमान थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 48 वर्ष

1. मु0अ0सं0 140/23 धारा 153 ए /295/295ए/427 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ।

2. मु0अ0सं0 142/23 धारा 307 पुलिस मुडभेड थाना रसूलपुर फिरोजाबाद

3. मु0अ0सं0 143/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलपुर फिरोजाबाद

अरगान उर्फ खलीफा पुत्र स्व0 रफीक निवासी नालबन्द चौकी के पास कस्सावान गली थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद 50 वर्ष

1.मु0अ0सं0 140/23 धारा 153 ए /295/295ए/427 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद

2. मु0अ0सं0 142/23 धारा 307 पुलिस मुडभेड थाना रसूलपुर फिरोजाबाद

3. मु0अ0सं0 143/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलपुर फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त सफीक उपरोक्त से

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 वोर

अभियुक्त अरगान उर्फ खलीफा से

2- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 वोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
2. व0उ0नि0 श्री सामून अली थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
4. उ0नि0 श्री अर्जुन थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
5. है0का0 1023 मो0 आफताब थाना रसूलपुर फिरोजाबाद
6. कां0-356 अभिषेक उज्ज्वल थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
7. का0 306 रौकी तौमर थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद